(248) परिशिष्ट

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा (म0प्र0)

क्र0/सर्त0/वि0जॉ0/07/1284 रीवा, दिनांक 20/8/07

आदेश

श्री रजनीश द्विवेदी (निलंबित) मु0लि0 कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सिरमौर जिला रीवा को कार्यालयीन आदेश क्र0/सर्त0/07/609–610 रीवा दिनांक 13.02.07 से निलंबित किया जाकर म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) में प्रयुक्त शक्तियों के तहत कार्यालयीन पत्र कमॉक/सर्त0/वि0जॉ0/07/764–765 दिनांक 24.03.07 से आरोप–पत्रादि समय सीमा में जारी कर संबंधीजन से प्रतिवाद उत्तर चाहा गया है।

श्री द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर समाधानकारक न पाये जानें के कारण विभागीय जॉच करानें का निर्णय लिया गया है। अतः म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील) नियम 1966 में निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त विभागीय जॉच में श्री एस0एन0पाण्डेय प्राचार्य, शा0बालक उ0मा0वि0गोविन्दगढ़ रीवा को जॉच अधिकारी एवं श्री सी0डी0द्विवेदी सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्त विभागीय जॉच समय सीमा दो माह के अन्दर पूर्ण कर अपनें अभिमत के साथ जॉच प्रतिवेदन की तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला रीवा (म0प्र0)

पृ0क्र0/सर्त0/वि0जॉ0/07/1285 रीवा, दिनांक 20/8/07

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला रीवा।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला रीवा
4. श्री एस0एन0 पाण्डेय प्राचार्य, एवं जॉच अधिकारी शा0बालक उ0मा0वि0 गोविन्दगढ़ जिला रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्री सी0डी0 द्विवेदी सहायक संचालक एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रीवा की ओर भेजकर लेख किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित नश्ती कार्यालय से प्राप्त कर जॉच अधिकारी से संपर्क स्थापित करते हुये उक्त विभागीय जॉच को पूर्ण कराने में सहयोग प्रदान करें।
6. अपचारी कर्मचारी– श्री रजनीश द्विवेदी (निलंबित) मु0लि0कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सिरमौर द्वारा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सिरमौर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला रीवा (म0प्र0)